

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 104 / 2026 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड सैकिण्ड फ्लोर, मानउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, एच.एस.बी.सी. बैंक के सामने, जयपुर जरिये अधिकृत अधिकारी आंचल शर्मा

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

- 1- RANVEER SINGH S/O CHHAGAN SINGH
 प्रथम पता:—PLOT WITH PATTA NO 47 GRAM JUGALPUR PANCHAYAT SAMITI & TEHSIL KHANDELA DISTRICT SIKAR RAJASTHAN
 द्वितीय पता:—JUGALPURA VILLAGE NEAR TEMPLE TEHSIL SHRIMADHOPUR SIKAR RAJASTHAN 332708
- 2- SAVITA DEVI SINGH
 प्रथम पता:—PLOT WITH PATTA NO 47 GRAM JUGALPUR PANCHAYAT SAMITI & TEHSIL KHANDELA DISTRICT SIKAR RAJASTHAN
 द्वितीय पता:—36, JUGALPURA VILLAGE NEAR TEMPLE TEHSIL SHRIMADHOPUR SIKAR RAJASTHAN 33270
 तृतीय पता:— JUGALPURA VILLAGE NEAR TEMPLE TEHSIL SHRIMADHOPUR SIKAR RAJASTHAN 33270

—अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 18 मई, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री महेन्द्र कुमार स्वामी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः RANVEER SINGH S/O

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



CHHAGAN SINGH एवं **SAVITA DEVI SINGH** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **PLOT WITH PATTA NO 47, BOOK NO 225, SITUATED AT GRAM JUGALPURA GRAM PANCHAYAT JUGALPUR PANCHAYAT SAMITI KHANDELA DISTRICT SIKAR RAJASTHAN 332708** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 107.03 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— **EAST-HOUSE OF KISHAN SINGH & SAMANDAR SINGH, WEST GALI THEN HOUSE OF SAWAI SINGH, NORTH HOUSE OF DEEP CHAND & ACHRAJ KANWAR & SOUTH AAM RASTA** स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **₹2,50,000/- (अक्षरे रूपये दो लाख पचास हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **22.11.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **22.11.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी


 (आशीष मेहता)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **RANVEER SINGH S/O CHHAGAN SINGH** एवं **SAVITA DEVI SINGH** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **PLOT WITH PATTA NO 47, BOOK NO 225, SITUATED AT GRAM JUGALPURA GRAM PANCHAYAT JUGALPUR PANCHAYAT SAMITI KHANDELA DISTRICT SIKAR RAJASTHAN 332708** में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल **107.03 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— **EAST-HOUSE OF KISHAN SINGH & SAMANDAR SINGH, WEST GALI THEN HOUSE OF SAWAI SINGH, NORTH HOUSE OF DEEP CHAND & ACHRAJ KANWAR & SOUTH AAM RASTA** स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **18 मई, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

